(नियम 26)

अदालत अति० जिला कलक्टर मुकाम झुन्झुनू

कानाराम पुत्र दुलाराम बनाम किशनलाल पुत्र दुलाराम

न मुकदमा धारा-5 मियाद नं. 37 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.08.2022	पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। मैंने हाजा न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अपील संख्या 12/2021 नामान्तरकरण संख्या 179 दिनांक 29.01.1992, अपील संख्या 03/2021 नामान्तरकरण संख्या 649 दिनांक 23.11.2020 एवं अपील संख्या 04/2021 नामान्तरकरण संख्या 1644 दिनांक 23.11.2020 की पत्रावलीयों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस धारा-5 मियाद अधिनियम पर मनन किया। उक्त तीनों अपील नामान्तरकरण संख्या 179, 649 एवं 1644 जो दूलाराम एवं उनकी पत्नि जमना देवी की मृत्यु के पश्चात उनके 1/4 हिस्से की खातेदारी भूमि के नामान्तरकरण उनके वारिसान के नाम तस्दीक किये गये है। उक्त तीनों अपील में मुख्य विवाद दूलाराम के पुत्र कानाराम के अपने मामा के गोद जाने एवं नही जाने के बिन्दु को लेकर अपने हक हिस्से के संबंध में प्रस्तुत की गई है, और तीनों ही नामान्तरकरण निरस्त कराने का निवेदन अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा किया गया है। उक्त तीनों प्रकरण में विवादित भूमि ग्राम पंचलगी में स्थित है जो दूलाराम के 1/4 हिस्से को लेकर उनके पुत्रों के मध्य हक हिस्से को लेकर प्रस्तुत हुई है। इस प्रकार तीनों अपीलों में विवाद का बिन्दु एक ही भूमि को लेकर समान पक्षकारों के मध्य होने तथा प्रकरण में मैरिट होने से धारा-5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर सहानुभूति का रूख अपनाते हुए तीनों प्रकरणों को सुना जाकर निर्णय पारित करना ज्यादा विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए एवं प्रकरण में मैरिट के बिन्दु को देखते हुए प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता संलग्न मूल अपील ... अति. जिला कलेक्टर झुंझुनूं Signature Not Verified Digitally signed by Jagdish Prasad Gour Date: 2022.10.06 11:26:06 IST Reason: SelfAttested	